<u>फर्द अहकाम</u>

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1, किशनगढ अजमेर (राज0)

सचिन खंडेलवाल बनाम लालचंद
दीवानी वाद संख्या 46/12
सीआईएस 508/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.2025	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, विद्वान अधिवक्त प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 4 की ओर से उपस्थित। श्री परमानन्द शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से उपस्थित। श्री इन्द्रेश के. रामचंदानी, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) जाब्ता दीवानी दिनांकित 23.05.2025 का जवाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया, जिस पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों रिकार्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध कर इस प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने की प्रार्थना की। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण अभी साक्ष्य वादी के स्तर पर है। प्रतिवादीगण इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिन दस्तावेजों को रिकार्ड पर लाना चाहते हैं वह दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के पक्षकारान एवं विषयवस्तुत से संबंधित है। साथ ही यह दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। जहां तक इन दस्तावेजों को देरी से प्रस्तुत करने का प्रश्न है, इस देरी को कोस्ट लगाकर कंपन्सेट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र 500/रूपये पर कोस्ट पर स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाता है एवं वादी को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह इन दस्तावेजों के खंडन में स्वयं की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेगा। कोस्ट राशि वादी को अदा की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 16.01.2025 को पेश हो। (संदीप आनन्द)	